घनश्याम बनाम नायब तहसीलदार बयाना
अपील संख्या 02/2017

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 02/2017

1. घनश्याम पुत्र द्वारिका प्रसाद
2. छामोदर पुत्र द्वारिका प्रसाद
   जातियान वैश्य निवासीयान ब्रहमबाद तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.......अपीलान्टान

बनाम

नायब तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

........रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 10.01.2017 नायब तहसीलदार बयाना। पत्रावली संख्या 84/2016 उनवानी सरकार बनाम घनश्याम अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री रमनलाल मित्तल, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 29.01.2021

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश नायब तहसीलदार बयाना दिनांक 10.01.2017 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 540/1 रकवा 0.28 है0 किस्म गैरमुमकिन रास्ता में से 640 वर्ग मीटर पर अतिक्रमी मानकर बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

घनश्याम बनाम नायब तहसीलदार बयाना
अपील संख्या 02/2017

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 540/1 रकवा 0.28 है0 वाकै ग्राम ब्रहमबाद तहसील बयाना में आवादी क्षेत्र में है व मौके पर आबादी, धर्मशाला आदि मकानात सैकडों वर्ष से बने हुये है व आबादी बसी हुई है। अपीलान्टान का पुरखों के जमाने से कब्जा चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता गलत दर्ज किया हुआ है। मौके पर रास्ता अलग से कायम है। अपीलान्ट घनश्याम को कोई नोटिस दिया बिना नोटिस दिये ,बिना सुनवाई के अपीलान्ट घनश्याम के बैक में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट दामोदर प्रत्येक पेशी पर उपस्थित हुआ है व जबाब नोटिस भी पेश किया है फिर भी एकतरफा में एवं बिना पटवारी हल्का के बयान लिये अपीलाधीन आदेश पारित है। अपीलाधीन आदेश प्रिन्टेड फार्म पर खाली जगहों को भरकर पारित किया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि विवादित भूमि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में आती है इसलिये नायब तहसीलदार को अपीलाधीन आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। विवादित भूखण्ड का राज्य सकरकार के नियमों के अनुसार नियमन कराया जावे। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत नायब तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2017 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2018 के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 540/1 रकवा 0.28 है0 ग्राम ब्रहमबाद किस्म गैरमुमकिन रास्ता में से 650 वर्ग मीटर पर जोत कच्ची मेड एवं लोहे का गेट लगाकर अतिक्रमण किये जाने पर अपीलान्ट को बेदखल, पैनल्टी के दण्ड से दण्डित किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। अपीलान्टान/अतिक्रमी अपनी अपील के कथनों में पूर्वजो के समय से कब्जा/अतिक्रमण करते आना स्वीकार किया है। अपीलान्ट का मुख्य बिन्दु है कि पुराना कब्जा होने से विवादित आराजी का आवंटन कराया जावे। चूंकि विवादित आराजी की किस्म गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। नायब तहसीलदार बयाना द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। अतः अपील काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ नायब तहसीलदार बयाना की पत्रावली वापिस लौटाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)